न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/103/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/352

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री बनवारीलाल पुत्र भम्बूराम,
नि0 भगतजी कॉलोनी, शौकीन प्रोपर्टीज के पास,
टपूकडा, अलवर–301001

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 17.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 19.09.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 30.05.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व शिकायत प्रा0पत्र दिनांक: 30.12.2021 के संबंध में की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 11.07.2022 के माध्यम से संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके पत्रांक: 494 दिनांक: 25.07.22 के माध्यम से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से अपील के अनुसरण में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्र सं. 2122 दिनांक: 22.08.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 30.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचना संबंधी दस्तावेजात् के मध्ये कुल 09 पृष्ठीय सूचना हेतु रू. 18/– (रूपये अठारह मात्र) जमा राजकोष कराने हेतु जरिये पत्र सं. 1670 दिनांक: 01.07.22 एवं 1732 दिनांक: 12.07.22 के माध्यम से लिखा गया, निर्धारित शुल्क जमा के अभाव में सूचना जारी नहीं की जा सकी है।
8. उक्त आलोक में **प्रथम अपील खारिज** कर निस्तारित की जाती है तथापि **लोकहित में** प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित सूचना के संबंध में निर्धारित फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष करा देता है तो सूचना अविलम्ब उपलब्ध करा दी जावे।
9. अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को भी प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 19.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)